MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Election Laws (Amendment) Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have j to report to the House the following mes- I sage received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha. :

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Election Laws (Amendment) Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 1975."

Sir, 1 lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU) : The House stands adjourned fill 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock, The Vice-Chairman, Shrimati Purabi Mukhopadltyay, in the Chair.

BILL, 1974— *Contd.*THE PARLIAMENT (PREVENTION OFDISQUALIFICATION) AMENDMENT

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi) : Madam, I rise to support the Bill. The present position of declaring an office to be an office of profit is rather anomalous. There should be no discrimination. I must say the suggestion which I made yesterday regarding the office of profit in respect of people belonging to various universities was a very innocent one, but i am sorry to note that my very eminent educationist friends have expressed their displeasure in very subtle language. Still I stand by what I said. It is really surprising that a person who was nominated on the Committee of Delhi Transport Corporation and getting Rs. 20 as the fee for attending the meeting had to resign because that was declared to be an office of profit and yet other people continue to be in the House. Besides, I am unable to understand, while the office of Vice-Chancellor is considered to be an office of profit, the post of Pro-Vice-Chancellor is not considered to be an office of profit. These are some of the anomalies which have to be removed. If the Pro-Vice-Chancellor can be a Member of the House, there should be no bar on the Vice-Chancellor being a Member, of the House. Madam, I feel the public sector undertakings have to play a very important role in the economy of this country, particularly in view of the changed circumstances. When we are at threshold of a new era, an era of new hope and self-reliance, surely it is necessary we should lake advantage of the experience and knowledge of Members of Parliament and we should closely associate them with the working of public sector undertaking whether owned or financed by the Govern ment of India or by any State Government. Members of Parliament, with all their responsibility and with their experience of the mood of the nation and of the thinking of the Government, will be in a better position to make a valuable contribution 1 in advising, directing and guiding the public sector undertakings and their managing [1] boards. Our public sector undertakings are definitely looking up and are making profits, and naturally this is the most opportune time for the Members of Parliament to be closely associated with them and their working. Another advantage is that the Parliamentary Committees which very often examine the working of the public sector undertakings will also rind their work easier and more purposeful if Members of Parliament are associated in the top management, 1 mean, in the board of directors or in the managing committees. Besides, Members of Parliament will also have the experience of the working of these undertakings, as today it is very easy to criticise the working of the public sector undertakings without really knowing their working difficulties.

In this connection, 1 would like to say that the public sector undertakings unfortunately do not have all the advantages

(Shri Khurshed Alam Khan] of the private companies and at the same time they also do not have the advantages of departmental working, in fact, they have inherited the difficulties of both. Therefore, close association of the Members of Parliament with the working of the public sector undertakings will be in the interests of the working of the public sector undertakings themselves and of the nation.

The recently announced 20-Point Economic Programme is a very important landmark in our national life. Naturally, the public sector will have to make a vsry important contribution for the success of this programme and for achieving the targets that have been fixed or that may be fixed under this programme. Now, if we exclude the Members of Parliament from giving a helping hand in shaping our future and destiny through these public sector undertakings, it will not be a good thing for the national life and the economic life. When we want the involvement of the people in the implementation of this 20-Point Economic Programme, 1 do not understand as to why we should hesitate lo involve the representatises of the people directly by associating them with the working of the public sector undertakings so that they can give of their best, and they can guide the working of these undertakings in the interests of the economy of the nation.

As regards the Schedules in the Bill, surely they are not the last word. And in fact I would say that they are also not the gospel truth. But let us give a fair trial and, if necessary, the whole thing can be reviewed from time to time as and when it is felt essential. But surely these Schedules need recasting, and I am sure the hon. Minister will make a special note of the opinions expressed by a number of Speakers before me in respect of these schedules. I think it would be possible for the hon. Minister to introduce a more comprehensive Bill shortly in the light of the working experience gained and in the light of what has been expressed by a number of Members on this subject in the House.

Madam, we have to keep pace with time and meet the demands of the how. Petty considerations should not come in the way of greater objectives. This being so, I suppose we must depart from the old policy and should take bold steps in reshaping our destiny, in reshaping our future, in reshaping the future of our people. Tkis can best be done if we associate our selected representatives in the working of public sector undertakings which have to play, as 1 said a very, very important role in the economic life of the country and in buildine up our future.

With these words I support the Bill once again.

श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) माननीया उप-सभापति जी, मैं इस बिल के विषय में उन आलोचनाओं के साथ जो माननीय श्री मनुभाई शाह ने और माननीय चौधरी रणवीर सिंह ने कहा, उसके साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मुझे इस बिल में केवल एक शिकायत है। शिकायत यह है कि इसके पीछे वह मनोवृत्ति, वह फिलासफी, वह दर्शन जो हमारी सरकार का है, हमारी राष्ट्रीय नीति का जो दर्शन है उसको यह नजरअन्दाज करता है। मूल मंत्र हमारा यह है कि हम चाहते हैं कि उत्तरोत्तर इस देश के अन्दर जो वित्तीय संस्थान हैं, जो उत्पादन संस्थान हैं उन पर जनता का अधिकार हो। इस देश में जब हम स्वतंत्र हुए तो यहां कोई औद्योगिक विकास नहीं था। यहां अंग्रेजी साम्राज्य ने अपने मतलब के मुताबिक कुछ कारखाने बनने की इजाजत दी। उनकी फौजें इस तरफ थीं तो स्वेज नहर के इस पार फौजों को कपड़ा देने के लिए कुछ टैक्सटाइल्स की जरूरत थी तो कुछ टैक्सटाइल मिलें उन्होंने बनवा दीं। कुछ जूट मिलें बंगाल प्रदेश में खुलवा दीं, कुछ रेलवे वर्कशाप्स बनवा दीं सारे हिन्दुस्तान में फौज भेजनी थी लोगों को दबाने के लिए रेलें बनायीं। टाटा जी के पास एक जमशेदपुर में एक लोहे का कारखाना खुलवा दिया। सब जो भारतीय उद्योगपति थे, इन्होंने मुनाफा कमाया। मनुभाई शाह ने यह बात बड़ी अच्छी तरह बताई

कि कोई भारतीय पूंजीपति रिस्क नहीं लेना चाहता था । वह बेतहाशा मुनाफा कमाते थे । हिन्दुस्तान का पूंजीपति मुनाफाखोर, नान-रिस्क टेकिंग था । पश्चिम का, फ्रांस का पूंजीपति बड़ी हिम्मत करने वाला था, अमरीका का पूंजीपति बड़ा हिम्मत करने वाला था, खतरा उठाता था और सामन्तवादियों से लड़ा । फ्रांस में उसने सामन्ती राजा की गर्दन काट दी । लेकिन हमारे जो पूंजीपति थे, बिड़ला जी, टाटा जी, डिमकना जी, इनका काम था मुनाफा कमाना । इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया । इसलिए जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय रेलवे को छोड़कर जो सरकारी अंडरटेकिंग्ज भारत के अन्दर थीं उनमें केवल 46 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट था । भारतीय पूंजीपतियों ने हिन्दुस्तान का कोई औद्योगिक विकास किया ही नहीं ।

यह हमारे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने देश के अन्दर जितने कुंजी उद्योग, की इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सैक्टर में शुरू किये ।

जनसंघ किस्म के प्रतिक्रियावादी लोग कहते थे कि जवाहरलाल तो पागल हो गये हैं जो कारखाने बनवा रहे हैं और खेती की तरफ ध्यान नहीं देते। जवाहरलाल जी ने दूर-दृष्टि से काम किया और देश के अन्दर इस्पात के कारखाने लगवाये और देश तरक्की की ओर बढ़ता चला गया । आज स्थिति हमारे देश की यह हो गई है कि पब्लिक सैक्टर में, राजकीय उद्योग में जो पैसा लगा हुआ है, व्यक्तिगत पूंजीपतियों का जो धन है वह उससे ज्यादा हो गया है और धीरे-धीरे, शनैः शनैः प्रजातांत्रिक तरीके से, शान्तिपूर्ण तरीके से हम वह स्थिति अपने देश में लाना चाहते हैं जिसके अन्दर राजकीय क्षेत्र में जो पब्लिक सैक्टर की पूंजी है, जनता की पूंजी है वह ऊपर आ जायेगी और व्यक्तिगत पूंजी नीचे चली जायेगी और कुछ दिनों के बाद हम मिक्स्ड इकोनोमी खत्म कर देंगे और देश के अन्दर पूरी तरह समाजवाद ला देंगे । यह हमारी फिलोसिफी है ।

इस पृष्ठभूमि में देखते हुए, इसकी बैक-ग्राउन्ड में देखते हुए मेरी समझ में नहीं आता कि एयर इंडिया कारपोरेशन में आप यहां के मेम्बर को भेज सकते हैं, कमेटी टू अडवाइस और प्रोब्लम्स कंसर्निंग पैट्रोलियम प्रोडैक्ट्स, डैवलैपमेंट्स कौंसिल फार ओटोमोबाइल्स इत्यादि में पार्लियामेंट का मेम्बर रह सकता है डैव्लैपमेंट कौंसिल फार नोन फैरस मैटल्स में पार्लियामेंट का मेम्बर रह सकता है, मगर कमाल यह है कि जो फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन है, मनुभाई शाह जी ने भी इसकी चर्चा की है, या कुंज उद्योग हैवी इलैक्टरी-कल्स लिमिटेड, है, इसमें पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं रह सकता है । इसमें हम रहेंगे तो खराबी आ जायेगी । बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आफ दी हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड है और यह जो पूरी लिस्ट में दिया हुआ है हिन्दुस्तान एन्टी-बाइटिक्स, नेशनल इंडस्ट्रियल डैव्लेपमेंट कार-पोरेशन, नेशनल रिसर्च डैव्लैपमेंट कारपोरेशन, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, इन में पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं रह सकता है ।

महोदया आप भी पब्लिक अंडरटेकिंग कारपो-रेशन की सदस्या रही थीं । आपने देखा कि जो हम जनता के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों में बैठकर नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन और नेशनल सीड्स कारपोरेशन और कोटन कारपोरेशन की जो जांच की तो हमने कितनी खराबियां निकालीं ।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : What is the logic behind this discrimination ?

श्री हर्षदेव मालवीय : मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । उदाहरण रूस का है इसलिये घबराने की बात नहीं है । ख्रुश्चेव और स्टालिन की कहानी है ।

एक माननीय सदस्य : कहानी है या फैक्ट है ?

श्री हर्ष देव मालवीय : यह एक वाक्या है । हिस्टोरिकल फैक्ट है । ख्रुश्चेव खदान का मजदूर था । वह कोयला खोदता था । वह बाद में मास्को में कम्युनिस्ट पार्टी का सैक्रेटरी हो गया । एक बड़ी मजेदार बात है कि उस जमाने में एक मोटर टायर फैक्टरी के टायर जिस मोटर गाड़ी में लगते थे वे कुछ दूर चलने के बाद बर्स्ट हो जाते थे। इससे स्टालिन बड़ा चिन्तित था ।

[श्री हर्षदेव मालवीय]

उसको यह शंका हुई कि इसमें कहीं सैबोटाज हो रहा है । जो 200-250 मील चलने के बाद टायर बर्स्ट हो जाते हैं । इसकी जांच ख्रुश्चेव के जिम्मे डाल दी । स्टालिन ने उसको बताया कि फलाना कारखाना है मास्को से कुछ दूरी पर । वहां जाकर इस चीज का पता लगाओ कि ये टायर बर्स्ट क्यों होते हैं ? ख्रुश्चेव अब बहुत घबराया । उसने सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे गोली मार दी जायेगी । लेकिन वह पालिटिक्स में रहा था, सियासत जानता था । वह कारखाने में गया और जाकर जांच करनी शुरू की । जांच करने के बाद उसने पाया कि टायर में ऐसी क्या चीज है जिससे टायर बर्स्ट होते हैं । पूरा कारखाना घूम डाला । फिर उसने टायर के उस अमरीकन पेटेन्ट को लेकर उसकी एक-एक प्रोसेस को समझा । वह एक कोने से शुरू करता हुआ आखिर के कोने तक खोज करता चला गया । एक स्थान पर उसने पाया कि कम्युनिस्टों ने किसी स्टेज पर सिलाई करने के एक प्रोसेस को स्किप कर दिया । इस की वजह से उसमें कमजोरी आ गई । इसका नतीजा यह हुआ कि 200-250 मील चलने के बाद टायर बर्स्ट होता है । इस चीज का पता लगने के बाद यह चीज दूर कर दी गई । ख्रुश्चेव जनता का प्रतिनिधि था इंजीनियर नहीं था । स्टालिन ने इसके बाद उस कारखाने के मैनेजर को डिप्टी मिनिस्टर इंडस्ट्री बना दिया ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिज्ञ, जो कांग्रेसी देश के सिपाही हैं जिन्होंने देश के लिये त्याग किया है, जो देश की राजनीति को समझते हैं, जो बात ब्यूरोक्रेसी नहीं समझती, ऐसे पार्लियामेंट के सदस्य जिनकी संख्या सात सौ से भी अधिक है और जो हमारे देश की जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और जिनको इस देश की 60 करोड़ जनता चुन कर भेजती है उनको इन संस्थाओं में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया जाये, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । इन सदस्यों को हमारे देश की जनता का विश्वास प्राप्त होता है । हमारे देश की चुनाव प्रणाली चाहे कितनी ही इसकी शिकायत की जाय, बहुत ही सच्ची और सही चुनाव प्रणाली है । दुनिया भर के लोग इसका लोहा मानते हैं । यह एक ईमानदार चुनाव-प्रणाली है । लोक सभा के अन्दर डायरेक्टली चुनाव लड़कर सदस्य आते हैं और राज्य सभा में इनडायरेक्टली चुनाव के माध्यम से सदस्य आते है । यहां पर सभी लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के सेवक की हैसियत से अपना काम करते हैं । जनता का विश्वास इन लोगों को प्राप्त होता है । लेकिन जनता के इन प्रतिनिधियों को, विधेयक के शैड्यूल 2 में जिन संस्थाओं के नाम दिये गये हैं उनका सदस्य होने के नाकाबिल बना दिया गया है ।

इस प्रकार का प्रावधान मेरी समझ में नहीं आता है । मैं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई सियासी विचार नहीं है । इसमें कोई पोलेटिक्स का ज्ञान नहीं मालूम पड़ता है । इस प्रकार के बिल के पीछे ब्यूरोक्रेसी का दिमाग मालूम पड़ता है । नौकरशाही का जो तरीका होता है वही इसमें प्रतिबिम्बित होता है । आप जानते हैं कि नौकरशाही किसी भी संस्था को बेहतर नहीं बना सकती है । जितनी भी हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटीज की रिपोर्टस हैं या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्टस हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अन्दर कितनी गड़बड़ियां थीं । ऐसी हालत में अगर इस प्रकार की संस्थाओं में पार्लियामेंट के सदस्य होंगे तो वे गलतियों को पाइन्ट आउट कर सकते हैं, उनको सामने ला सकते हैं ।

यह ठीक है, अभी श्री मनुभाई शाह जी ने कहा, पार्लियामेंट के सदस्य कोई दूध के धुले हुए नहीं होते हैं, वे भी गलती कर सकते हैं, लेकिन बाई एण्ड लार्ज, अधिकांशतः पार्लियामेंट के सदस्यों की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है । आप देखिए कि 'जूरी फार जवाहरलाल नेहरू एवार्ड फार इन्टरनेशनल अन्डरस्टेंडिंग' में भी पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता है । यह क्या मजाक है ? श्री

जवाहरलाल नेहरू जी को हम ज्यादा समझते हैं या वे लोग ज्यादा समझते हैं ? जिन लोगों ने जवाहरलाल जी के साथ काम किया, जिन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त की, उनसे ज्यादा उनको और कौन जान सकता है ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जिन लोगों ने नेहरू जी से शिक्षा ग्रहण की और उनकी छत्रछाया में बड़े हुए उनको इस एवार्ड कमेटी में नहीं रखा जा सकता है और वे इसके लायक नहीं समझे गये है । इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वे इसके लायक नहीं हैं । मैं समझता हूं कि वे सब बेमतलब की बातें हैं । जिन लोगों ने जवाहरलाल जी की कोई किताब नहीं पढ़ी, वे लोग तो उसके मेम्बर हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं हो सकते हैं।

अब आप फूड कारपोरेशन का ही मामला लीजिये । वहां पर किस प्रकार की गड़बड़ चलती है, यह हम सब लोगों को मालूम है । अगर वहां पर कोई संसद् के सदस्य होंगे तो कारपोरेशन के कर्मचारी और अधिकारी सजग रहेंगे और अगर वे किसी तरह की कोई गड़बड़ करेंगे तो उन्हें इस बात का डर रहेगा कि यहां पर संसद् के सदस्य भी हैं । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारी इन भावनाओं को सरकार तक पहुंचा दें और इस बिल को फिलहाल के लिये रोक दिया जाए । मैं तो कहता हूं कि यह सारा शेड्यूल ही खत्म कर दिया जाय और शेड्यूल (1) में मिला दिया जाय । आप यह देख रहे हैं कि जितने भी सदस्य इस बिल पर बोले हैं वे सब इस विधेयक से असन्तुष्ट हैं । माननीय, आप भी पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी में रह चुकी हैं और आप जानती हैं कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन में क्या हालत थी और उसमें कितनी गड़बड़ियां थीं । उसके अन्तर्गत 132 मिलें है । मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ आफिसर बहुत अच्छे हैं, जैसे श्री श्रीनिवासन है या दो चार और अधिकारी हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वे जनता के प्रतिनिधि नहीं है । इसका नतीजा यह है कि वह संस्था इस गोईंग बैड टू वर्स । इसी तरह से प्राग टूल्स कारपोरेशन है या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है या सीमेन्ट कारपोरेशन है, इन सब के बारे में काफी बातें कही जा चुकी हैं । अन्त में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इन बातों से सहमत हों या असहमत हों, आज हमारे देश की जो स्थिति है और आज जिस प्रकार की आपतकालीन स्थिति हमारे देश में लागू है उसके अन्दर पोलेटिक्स इज इन कमान्ड यानी पोलेटिक्स प्रमुख है । हमारी नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की यह महानता और दूर-दृष्टि है कि उन्होंने हिम्मत करके सब गड़बड़ियों को दूर कर दिया है । "पोलिटिक्स इज इन कमान्ड" यह बात जो सही है तो मतलब यह है कि पब्लिक सैक्टर में, राजकीय क्षेत्र में भी कमान्ड होना चाहिये । अगर यह बात सब के समझ में आ जायेगी, तो आप विश्वास मानिये, फिर यह शिड्यूल्ड बस और ट्रू, बेकार की बात है । अगर संसद् सदस्य एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स के लायक है, उसको एडवाइस देने लायक है, लाइफइंश्योरेंस के बोर्ड में जाने लायक है, तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जैसे हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल है, हैवी इंजीनियरिंग रांची है, क्या उसके बोर्ड में वह नहीं जा सकता है ? जब श्री केशव देव मालवीय जी एम० पी० नहीं थे, तो वे हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के चेयरमैन हो गये थे और छः महीने के अन्दर उन्होंने उसकी हालत बदल दी थी । हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे दैनिक ने भी जो उसका सदा आलोचक था, उनकी तारीफ की थी । जब उनको हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से इस्तीफा देकर फूलपुर की सीट के लिये जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के कारण खाली हो गई थी, लोक सभा की मेम्बरशिप के लिये चुनाव लड़ना पड़ा, तो उस समय हिन्दुस्तान टाइम्स ने बड़ी आलोचना की थी कि एक आदमी जिसने लाखों करोड़ों की कीमत वाले कारखाने की हालत संभाल दी, उसको इस जगह से क्यों हटाया जा रहा है । वह इस संस्था को इसलिये सम्भाल सके थे क्योंकि उनकी एक प्रापर फिलासफी थी और एक प्रापर दृष्टिकोण था । इसलिये इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे हम लोगों की भावना को समझें और इसको आप कृपा करके सरकार को

[श्री हर्षदेव मालवीय]

बतलायें । हमारी तो सलाह यह है कि आप फिलहाल इस बिल को वापस ले लें । आप इस समय इस तरह का कानून न बनायें । इस पर फिर से विचार कर लें क्योंकि अभी समय बहुत । इसमें जल्दी नहीं है और न ही कोई आपत्ति ही आई है । (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : I'here are too many promptings for you.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA : What to do, Madam? . . . *(Interruptions).*

मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं और आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वे फिलहाल इस बिल को वापस ले लें और इस पर पुनः विचार करें।

श्री कल्प नाथ (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह निवेदन करना है कि जिस समय देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने अपने मुल्क के अन्दर जिस समय से संविधान का निर्माण किया था, उस समय उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका से प्रेरणा मिली थी । उन जनतंत्रीय देशों के संविधान में यह बात लिखी हुई थी कि पार्लियामेंट का मेम्बर पब्लिक अन्डर-टेकिंग्स का इसलिए मेम्बर नहीं होगा क्योंकि इसमें प्राफिट की सम्भावना है । लेकिन हमारे देश के नेताओं ने जहां जनतंत्रीय देशों से यानी इंग्लैंड और अमेरिका से प्रेरणा ली थी, वहां दूसरी तरफ समाजवादी मुल्कों द्वारा रिकंस्ट्रक्शन की प्रेरणा भी हमने ली थी । जहां और मुल्कों में आर्थिक आजादी के बाद राजनीतिक आजादी आई, वहां हिन्दुस्तान में 1947 में राजनीतिक आजादी आई और 1947 के बाद हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को ताकतवर बनाने के लिए, आर्थिक आजादी लाने के लिए प्लान्ड इकोनोमी को प्राथमिकता दी गई और इस तरह से देश को एक राजनीतिक दर्शन दिया गया ।

3 P.M.

हमारे देश की प्रधान मंत्री ने, हमारे देश के नेताओं ने देश का आब्जेक्टिव समाजवाद घोषित किया है, हम समाजवाद के तरीके पर अपने कदम बढ़ायेंगे और अपने मुल्क में जीवन की आवश्यक वस्तुओं का इतना उत्पादन करेंगे कि जनता के बीच उनका समुचित वितरण हो सके ।

आज इस बिल के अन्दर क्या है । मेम्बर पार्लियामेंट किसी पब्लिक अंडरटेकिंग का डायरेक्टर नहीं हो सकता । दूसरी शेड्यूल में लिखा है कि डाइरेक्टर भी नहीं हो सकता । पहली शेड्यूल में लिखा है कि मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर हो सकता है लेकिन चेयरमेन नहीं हो सकता । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार का साफ लक्ष्य है, समाजवादी समाज का निर्माण करना । हम अपने देश में एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम पूंजीवाद और साम्यवाद की गुदगुदी गोदी से हट कर एक नयी दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से अलग होगी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जिसका आधार होगा, जिसके माध्यम से हम जनतंत्र भी इस मुल्क में कायम रखेंगे और साथ-साथ इस देश की जनता को भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान करेंगे । इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए जहां हमने सोवियत रूस से सोशलिस्ट रिकन्स्ट्रक्शन की नीति अपनायी है आज वहां इंग्लैंड और अमरीका से भी सीखा है । हम दुनिया में जहां भी जो अच्छा होगा उसको लेंगे । यही हमारा प्रयास रहा है।

पहली शेड्यूल में लिखा हुआ है कि मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर तो हो सकता है लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का चेयरमेन नहीं हो सकता । दूसरी शेड्यूल में लिखा हुआ है कि मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर भी नहीं हो सकता, चेयरमेन की बात तो अलग रही । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने अपने देश में पब्लिक सेक्टर इकोनोमी को, कोर सेक्टर इकोनोमी को प्राथमिकता दी है। अपने मुल्क का निर्माण करने के लिए हमने हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना लगाया है, स्टील की बेसिक इकोनोमी में दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला

के बड़े-बड़े कारखाने लगाए हैं, आफ-शोर और आन-शोर आयल एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया है । इसके अनुसार इन बड़े-बड़े उद्योगों की कमेटियों में मेम्बर पार्लियामेंट नहीं होंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साफ तरीके से शेड्यूल ए और शेड्यूल बी दोनों को खत्म कर देना चाहिये और बी शेड्यूल को तो ए शेड्यूल के अन्तर्गत ले आना चाहिए और मेम्बर पार्लियामेंट डायरेक्टर भी हो सकता है और चेयरमेन भी हो सकता है, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ।

हमने तय किया है कि हम अपने देश में गेहूं की उगाही करेंगे, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से जनता में वितरण करेंगे । आज क्या है, 105 रुपया क्विन्टल हम गेहूं लेंगे और फूड कारपोरेशन आफ इंडिया 140 रुपया क्विन्टल देगा यानी 35 रुपया प्रति क्विन्टल खर्चे के रूप में फूड कारपोरेशन में इस्तेमाल होगा और जनता के प्रतिनिधि जो किसानों के बेटे हैं, जो किसान के प्रतिनिधि हैं, मेम्बर पार्लियामेंट हैं उस फूड कारपोरेशन के अन्दर नहीं बैठ सकेंगे । जनता के हितों को देखना, जनता के हितों के लिए उत्पादन करना और उस सामग्री का जनता में वितरण करना, यह हिन्दुस्तान की जनता के प्रतिनिधियों का काम है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार हम उस कमेटी के मेम्बर नहीं हो सकते । स्टील की अंडरटेकिंग्स को लीजिए । आज इस देश में इतनी स्टील अंडरटेकिंग्स हैं लेकिन उनकी इंस्टाल्ड केपेसिटी का 40 फीसदी से ज्यादा युटिलाइजेशन हमारे मुल्क में हो नहीं पाया है । और करीब 60 फीसदी इंस्टाल्ड कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और हम एम पीज उस के डाइरेक्टर या चैयरमैन नहीं हो सकते । स्टील ऐसा कोर सेक्टर है कि जिस के माध्यम से हमें अपने देश का निर्माण करना है, लेकिन हम न उस के चेयरमैन हो सकते हैं और न डाइरेक्टर बन सकते हैं । इसी तरह से फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया है । फर्टिलाइजर का संबंध खेती से है । खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया है लेकिन उस का मेम्बर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं हो सकता । हमारे देश में फर्टिलाइजर की इंस्टाल्ड कैपेसिटी 25 लाख टन की है और 12 लाख टन हम उत्पादन कर पा रहे हैं । 12 लाख टन हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है । और 13 सौ करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम को विदेशों से फर्टिलाइजर मंगाने के लिये खर्च करना पड़ता है, लेकिन हम उस के मेम्बर नहीं हो सकते । आप जानते हैं कि कमोडिटीज बोर्ड है । देश में किसानों के खेतों में जो चीजें पैदा होती हैं आज वह माटी के दाम में बिक रही हैं और जो चीजें कारखानों में बन रही हैं वह सोने के दाम में बिक रही हैं तो कमोडिटीज बोर्ड जिस में शुगर, गेंहू और सारी जीवन की आवश्यकता की वस्तुएं आती हैं उन के भाव निर्धारित करने के लिये और उन का उत्पादन कितना हो यह तय करने के लिये या उन का वितरण किस तरह से हो इस को तय करने के लिये, निर्णय लिये जाते हैं उस बोर्ड के मेम्बर पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं हो सकते । तो हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इस देश में समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया है और लगातार इसी दिशा में हमारे देश ने कदम उठाये हैं और अभी प्रधान मंत्री जी ने 21 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा एक नया सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने का बीड़ा उठाया है । उस के लिये मैं तो समझता हूं कि इस देश में मेम्बर पार्लियामेंट को स्टैचेयेरी पावर्स दी जानी चाहिए । इंग्लैंड की व्यवस्था अलग है । वहां कमर्शियल मैनेजमेंट है जिस का आब्जेक्टिव प्राफिट है । हमारे देश की सरकार का उद्देश्य है समाजवाद । हमारी जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल उत्पादन करना और उत्पादन कर के कितनी हमारी जनता है, कितना हमारा उत्पादन है, क्या लक्ष्य है और उस का हम किस तरह से वितरण करेंगे, यह सब हमारी सरकार को करना है और इसके साथ ही अपने देश को शक्तिशाली बनाना और अपने मुल्क में फैली गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटना हमारी सरकार का उद्देश्य है और यह उद्देश्य उस ने घोषित किया है कि उसे पूरा करना है । तो मैं मंत्री महोदया जी से निवेदन करूंगा कि जहां मैं इस बिल का समर्थन करता हूं उस के साथ ही उन से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि वह इस बिल को वापस लें और शेड्यूल्ड ए और बी के

[श्री कल्प नाथ]

अंदर मेम्बर पार्लियामेंट को न केवल डायरेक्टर बनने की बल्कि चेयरमैन आफ दि डिफरेंट अंडरटेकिंग्स बनने की भी पावर दी जानी चाहिए। यह तो अपने देश के नेता पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से इस की व्यवस्था करेंगी, लेकिन सवाल उठता है कि देश की व्यवस्था को समाजवादी दिशा में ले चलने के लिये हमें इस को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में चीनी की पैदावार होती है। आज चीनी के माध्यम से हमारे मुल्क में सब से ज्यादा फारेन एक्सचेंज मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन इस में लिखा हुआ है। इस एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन का मेम्बर कोई किसान का बेटा नहीं होगा, कोई किसान गन्ने की खेती करने वाला पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं होगा और 8 रुपया क्विंटल इस कमीशन ने गन्ने का दाम निर्धारित किया है। किसी भी तरीके से, किसी भी स्टैंडर्ड से इस से ज्यादा किसान की लूट, इस से ज्यादा किसानों के पेट में छुरा भोंकने का काम और दूसरा नहीं हो सकता। आज इस कमीशन में तो किसानों के प्रतिनिधि भी बैठने चाहिएं। आज जो इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स के जानकार हैं वह इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के मेम्बर होने चाहिएं। चीनी, जिस के माध्यम से अपने मुल्क को अरबों रुपये का फारेन एक्सचेंज मिलता है, उस के बारे में बात करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अपने देश में अगर गन्ने का दाम 16 या 20 रुपये क्विंटल हो तो इस इंडस्ट्री से सब से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में हम को फारेन एक्सचेंज मिलेगा। लेकिन इस एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन में भी हमारे प्रतिनिधि नहीं है। आज 18 एकड़ की सीलिंग हम ने निर्धारित की है। हम किसानों को बिजली नहीं देंगे, हम किसानों को खाद नहीं देंगे, लेकिन 105 रुपया क्विंटल में उनका गेहूं लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं किसी भी इकानामिक्स के प्रोफेसर से, किसी भी अर्थ शास्त्री से, किसी भी खेती करने वाले से कि क्या 18 एकड़ की सीलिंग पर बिना खाद की व्यवस्था के, बिना बिजली की व्यवस्था के, बिना पानी की सुविधा के हम 105 रुपया क्विंटल के आधार पर उत्पादन कर सकते हैं? इसलिये हमें इस मुल्क में एक नये समाज का निर्माण करना है, नई-व्यवस्था को बनाना है, जिसमें एक तरफ जहां मन की आजादी हो, दूसरी तरफ पेट की भी आजादी हो, तो हमको अपने मुल्क की पब्लिक अंडरटेकिंग्स की कमेटी में मैम्बर पार्लियामेंट को अनिवार्य रूप से मैम्बर बनाना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या गलत बात हो सकती है कि हमारे मुल्क के कोर सेक्टर आफ इकानामी जो हैं स्टील उसमें इंस्टाल्ड कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजर में इंस्टाल्ड कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, केवल 40 परसेंट इस्तेमाल हो रहा है, स्टील में 50 परसेंट हो रहा है इंस्टाल्ड कैपेसिटी का। तो पार्लियामेंट के मैम्बर अगर इस अंडरटेकिंग्स के मैम्बर होंगे तो इन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की क्या कठिनाइयां हैं जो उनमें पैदा होंगी, क्या कारण हैं कि इंस्टाल्ड कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इनकी जानकारी पार्लियामेंट को उनके द्वारा होगी और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये पार्लियामेंट प्रयत्न करेगी। यानी पार्लियामेंट और उन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज का रिश्ता होना चाहिए। पार्लियामेंट एक दर्पण के समान है, एक शीशे के समान है और उसमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स का चेहरा साफ दिखलाई देना चाहिए और पार्लियामेंट को अधिकार हो उसका परिमार्जन करने का, उसको रेगुलेट करने का और उनको ठीक करने का, जनता की आशाओं के अनुरूप उनमें उत्पादन करने का।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारे देश में ऐंटी-बायोटिक्स का कारपोरेशन है। आज हमारे देश के अन्दर जो तपेदिक की सुई है.....

उप-सभाध्यक्ष (श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय): आप हर एक पब्लिक अंडरटेकिंग का विचार करेंगे आप तो अभी बिल पर विचार करेंगे। अभी खत्म कीजिए।

1 suppose you are not going to discuss the merits of each and every public undertaking.

श्री कल्प नाथ : लेकिन जब तक उदाहरणों के द्वारा आपके बीच में इन चीजों को ठीक ढंग से न बताया जाए, मैं नहीं समझता कि इस बिल के क्या उद्देश्य हो सकते हैं वह बताना कठिन है । इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के जितने भी सदस्य हैं आज इनका रिश्ता समाजवाद से है क्योंकि समाजवाद का रिश्ता देश की जनता से है। समाजवाद के द्वारा हमको जनता की रोटी, कपड़ा, मकान, दवायें, शिक्षा की व्यवस्था करनी है । हमको टैक्सटाइल कारपोरेशन के माध्यम से लोगों को कपड़ा देना है, ऐंटी बायोटिक्स कारपोरेशन के माध्यम से जनता को दवाइयां देनी हैं, फर्टिलाइजर के माध्यम से खाद देनी है, स्टील कारपोरेशन के माध्यम से उनको जीवन के सारी आवश्यकतायें, खेती का सामान किसानों को देना है । इसलिये पार्लियामेंट के मैम्बरों को उन अंडरटेकिंग्ज में बैठने की स्टेच्युटरी पावर होनी चाहिए और उनकी चेयरमैनशिप और उनकी डाइरेक्टरशिप भी उनको मिलनी चाहिये। जो ए और बी शेड्यूल हैं इनको तोड़कर एक शैड्यूल बनाना चाहिए ताकि पार्लियामेंट के मैम्बरों और उन अंडरटैकिंग्स के रिश्ते ऐसे हैं जैसे शीशे और चेहरे के हैं । पब्लिक अंडरटेकिंग्स के चेहरे पार्लियामेंट के शीशे म देखने का मौका हमको मिलना चाहिए ताकि हम समाजवाद के लक्ष्य को सफल बना सकें । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापस लें ।

श्री विनयकुमार रामलाल पाराशर (महाराष्ट्र) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, इस विषय पर तो काफी सभासदों ने अपने विचार बताये हैं, मुझे कुछ खास कहना नहीं है । दोनों शैड्यूल को पढ़कर और यह समझकर कि इसमें शायद इस हेतु से यह बिल लाया गया होगा कि एक ही आदमी अधिक सत्ता की जगहों पर न रहे, लेकिन ऐसा करते हुए उससे जो नुकसान होगा उसकी शायद थोड़ी कम कल्पना की गई है। दो-तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं । जितनी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी हैं वे सब फर्स्ट शेड्यूल में ही थीं उनमें से अधिकांशतः साधारणतः सभी सैकिण्ड शैड्यूल में कर दी गई हैं । इसके मायने यह होते हैं कि पार्लियामैन्ट के मैम्बर चेयरमैन, सेक्रेटरी या डायरैक्टर का तो सवाल ही नहीं वे ऑडिनेरी मैम्बर भी नहीं हो सकते हैं । मैं समझता हूं यह न्यायसंगत चीज नहीं है । मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जिससे ऐसा महसूस होता है जैसे शैड्यूल वन के पृष्ठ 8 पर जो "महाराष्ट्र" लिस्ट में दिया हुआ एड हौक हिन्दी बोर्ड । मेरी समझ में नहीं आता ऐसी संस्था का अगर पार्लियामैन्ट का मैम्बर डायरेक्टर रहता है तो कौन सा धक्का लगता है । इसी तरह से मराठी भाषा में स्कूल बुक्स कमेटी है, उसमें भी पार्लियामेंट के मैम्बर को रखने में क्या परेशानी होती है मुझे समझ नहीं आता । इसके अलावा खासतौर से जो दो चीजें कहीं गई हैं, एक तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिये प्राइस फिक्स करने की बात है इसमें सबसे बड़ा अन्याय होता है जो कि हमारे देश की इकोनोमी का आधार है। जो बेस है वहां से ही पब्लिक रिप्रेन्टेटिव को, जन-प्रतिनिधि को दूर कर देना मुनासिब नहीं है । मैं समझता हूं इस संबंध में बहुत ज्यादा न कह कर जैसा अभी अन्य मित्रों ने कहा उसी तरह से मैं भी यह कहूंगा कि इसके ऊपर फिर से विचार किया जाये, फिर से सोचा जाये । शायद कहीं पर हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक के, जनता के प्रतिनिधि वंचित किये जा रहे हैं । मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो जड़ है जहां से गड़बड़ियां शुरू होती हैं, जहां से आर्थिक व्यवस्था का उत्थान होता है, जहां से आर्थिक व्यवस्था ऊंची उठती है उन जगहों पर अगर पब्लिक रेप्रजैन्टेटिव नहीं रहेंगे तो खतरे भी पैदा हो सकते हैं इसलिये मैं कहूंगा कि इस बिल पर पुनः विचार किया जाय । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

SHRI N. K. BHATT (Madhya Pradesh): Madam Vice-Chairman, a great deal of observations have been made on this Bill by several hon. Members of this House. The consensus seems that most of the hon. Members do not favour the Bill in its form as presented before this House. It seems that probably the purpose which might have been before the Government while introducing this Bill has shot off its mark.

[Shri N. K. Bhatt]

After independence wa pledged ourselves to planned economic development. We have set mixed economy as our *modus operandi.* In this task, the basic industries which are necessary for the development of the country, like steel and coal are mostly in the public sector. Now, after bringing all these basic industries in Hie public sector, it is an irony that people's representatives who know their subject and who are conversant with the subject are kept out of it.

Madam Vice-Chairman, before becoming a Member of this hon. House, I was associated with some of the public sector organisations as a member on their Boards of Directors and in that capacity 1 had the occasion to go into the various aspects of the undertakings I was representing. While 1 was there, because of our involvement, because we were concerned very much with the betterment .of those undertakings, we could show how wasteful expenditure could be avoided, we couid show how corruption could be rooted out, we could show how discipline could be enforced. As a result of our combined efforts those undertakings could be brought into profitability although they were formerly running into loss.

Now it is very strange, when I became Member of Parliament, 1 had to resign from the membership of Board of Directors and I was told that it was not possible for a Member of Parliament to be on the Board of Directors or to be associated with the public sector organisations. When I enquired as to what was the reason, I was told that there was a Committee known as the Krishna Menon Committee which in its wisdom among others also recommended that the Members of Parliament should not be associated or should not serve on the Boards of public sector organisations. Madam Vice-Chairman, I have no intention to challenge the wisdom of that body which prepared that report but as one who is very much conversant with and very much involved in the betterment of the public sector organisations, I felt that this was a direct hit, as if there was a calculated approach to keep the people's representatives, *i.e.* the Members of Parliament, away from these public sector organisations. What has happened? We have seen during the years gone by that in the public sector organisations with which representatives of the people are not connected, in their functioning, there have been cases of corrupt ion, rank indiscipline, top heavy load of bureaucracy and all this led to such a position that this august House was required to go deep into the working of the organisations. For that purpose, Public Sector Undertakings Committee of the Parliament was set up. Madam, I am one of those who have been associated with the Public Sector Undertakings Committee. We found the lapses and the shortcomings in the working of the various public sector organisations. Of course, when we examined there was no *main fide.* We did not have any ill will against anybody but we found that most of those organisations were laden with officers who had neither experience about the commercial aspect of these organisations nor had they any involvement. These are the basic things which are very necessary. A great deal is spoken about the capitalists and private industries. A question is always asked: How is it that these private sector undertakings make profits? The difference is that the owners of these private undertakings, whosoever they may be, put their entire stake while in the public sectoi organisations, whether it is the HEL Bhopal or the National Coal Development Corporation or for that matter the Food Corporation of India, all those who were heading these organisations had neither any stake nor any involvement in the organisation. In the case of peoples' representatives, especially Members of Parliament, we. have coinmitted objectives, we are here to serve the objectives of socialism, we are here to implement the 20-point programme placed before the country by the Prime Minister and to which there is also a demand that we should be given statutory powers to see that programme is implemented. Why has this question come up? The same is the answer for the public sector organisations. If the Members of Parliament can safeguard the interests of the country, if they can be here as representatives of

people, why are they being debarred from serving on those organisations. 1 was expecting that whiie introducing this Bill the hon. Minister would come forward with this recommendation that till now there was a mistake as a result of the recommendation of the Krishna Menon Committee's report, that the Members of Parliament were debarred, were kept aside in their association with the public sector undertakings and now we are coming before the Parliament to seek approval so that Members of Parliament who are people's representatives can serve on those bodies and safeguard the interests of the community. In the public sector undertakings whatever capital is involved it is the people's money. So, when people's money is there when people's capital is there what prevents people's representatives to be associated and to serve on those bodies ?

Madam, Vice-Chairman, these are the feelings which have been amply voiced by previous illustrious predecessor. I for one have been associated in my capacity as a trade unionist with workers before I became a Member of Parliament, and afterwards I have been associated with the Public Sector Underakings Committee. It has been my firm belief—and I am fully convinced—that Members of Parliament must be associated with, and must be put on, these public sector undertakings.

Now, when we go through this Bill, wo find that obviously there is a discrimination. In Schedule I, the Members of Parliament can be associated with the public sector undertakings, but in Schedule IT they are kept out. I cannot understand why this discrimination should be made. I strongly feel that Schedule IT should be abolished altogether and merged into Schedule I so that the Members of Parliament can be on the Boards without any disqualification because if the Members of Parliament are not supposed to qualify themselves to serve on these undertakings, I am afraid then none else can be qualified. This I am saying after our declared objective that we want to have complete control on the basic industries so that they can give a lead. We have seen by experience—either you take nationalisation of coal industry, or you lake nationalisation of textile industry.—there is a calculated, well planned conspiracy in this ouiitry to see that in public sector we do not succeed. What has happened in coal industry? The previous coal-owners in league with the contractors and in league with the vested interests, have tried to see that we do not succeed in coal nationalisation. In every mine, at every pit head, there is a gang of people who are out to see that whatever we could do is not done. So there is a conspiracy between the erstwhile owners and people with vested interests. By this Bill it seems that we are strengthening thek hands. What was expected of the Hon'ble Minister was that the shortcomings which dwelled as a result of the recommendations of the Krishna Menon Committee were removed, and with this Bill the Members of Parliament were given an opportunity to serve there because they are the people who are involved, they are the people who are committed, they are the people who come and sit here to safeguard and protect the interests of the people and see that the country marches ahead towards the goal of socialism, where the difference between the rich and the poor is abolished and we succeed in creating a society where there will not be any amount of exploitation and everybody will get an opportunity to go ahead to the extent one can. But with this Bill we feel rather disappointed. I would request, through you, Madam Vice-Chairman, the hon'ble Minister to give a second thought and come again before this House with this Bill because it needs that if it has to come, it should come in another form, where Schedule II is completely abolished and merged into Schedule I and a review is given so that the Members of Parliament can be made Chairman of organisations like the Dock Labour Board, the Employees' State Insurance Corporation etc. If the Members ot Parliament are kept away from these organisations, I am afraid the interests which the Government arid the Parliament, have to serve will be completely set aside.

I do not want to say that I am opposing the Bill. But I would only like to appeal the hon. Minister to give a second thought

[Shri N. K. Bhatt]

to this question and come loaward before this house again taking into consideration the views expressed by my previous speakers and the views which I have expressed.

With these words, I thank you for the opportunity given to me.

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : Madam Vice-Chairman, by this time, I think, we know already the views of the House. I do not blame the Minister because this Bill had to come. It has been pressed that this Bill should come. But the discrimination shown in the Schedules will practically defeat the purpose of this Bill. If we have to reach our goals and objectives as enunciated lately by the Prime Minister's declaration of the economic programme, people's involvement at every stage will be necessary and if the people'*, representatives are taken out, who will watch the people's interests there ? whether it is the Coalmines Board or any board, if people's representatives do not sit there along with other Directors and bureaucrats, the political outlook of the country will not be reflected in their work. That is exactly what I wanted to emphasise. The political outlook of the nation has to be reflected in its economic policies so that we can build up a future which we aim at and only then the social objectives which we have in view, can be in our hands. This is a very difficult position. The Bill is introduced already and we are discussing it. I request the Minister only for one thing that it will be better if it is refer red back to the Joint Committee again and an adequate comprehensive Bill keeping in view our political outlook and our political philosophy, is brought before the House so that it will be acceptable to all sections of the House. Thank you.

SHRI D. D. Pt'RI (Haryana) : Madam. I will not repeat the points that have been so elaborately made and I think thete is complete unanimity in this House in so far *AS* this Bill is concerned.

Madam, the current session of the legislature, this House as well as the other House, has discused the 20-point programme given to the country by the Prime Minister and the historic message that we are carrying as soon as this session is over, when we go to our constituencies and to our States and into more important sessions that we face when we address public meetings, is the implementation of this programme by means of greater and greater involvement. The one historic message that has been given to the members of the legislatures in this important session is the involvement of the people through their chosen representatives, not in the formulation of the programme but in the implementation of the programme. I do not want to go into the lists or into the details here. All I would say is that this 20-point programme is not an end unto itself. That is a beginning. That is a first step. We may be involved in 200-point programme or 300-point programme. This is just the beginning. But the most important thing is that we have laid down these points before but there has been a serious gap in the implementation and for the implementation, we, the chosen representatives of the people have to get involved deeper and deeper as the time passes. All I would say is that in this Bill that has been brought up, the Parliament Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1974, there should be only one criterion, that is, you exclude only the whole-time posts where people are paid to work whole time. Let the Members of Parliament be excluded from those posts but you involve them in everything else. I do not want to go into details. This is the sole criterion thai I wish to lay when this Bill is drawn up Now. Madam, public sector plays an increasingly important role in the economic life of the country and as time passes, it will play even more important role. Now to exclude the members, the chosen representatives of th people from the membership of the Board of Directors of the public undertakings will be out of tune. I think the entire Bill is out of tune—with the current thinking as it evolves particularly from this historic session of Parliament. I, therefore, Madam, with your permission, beg to move :

"That further consideration of the Parliament (Prevention of Disqualifica-

lion) Amendment Bill 1974, be adjourned." *The question was proposed.*

DR. (SMT.)SAROJINI MAHlSHI : Before considering this, I would like to read out a paragraph from the Joint Committee's Report for the information of Members. I would like to tell them that there is a Joint Standing Committee consisting of ten Members from Lok Sabha and five Members from the Rajya Sabha. I shall read out the names of the Members. They are :—

Lok Sabha

1. Shri S. B. P. Pattabhi Rama Rao- Chairman.
2. Shri Chandrika Prasad.
3. Shri Somnath Chatterjee.
4. Shri Jagannathrao Joshi.
5. Shri Z. M. Kahandole.
6. Shri Pratap Singh.
7. Shri Ramji Ram.
8. Shri Arjun Sethi.
9. Shri Ramavatar Shastri.
10. Shri Ram Shekhar Prasad Singh.

Rajya Sabha

11. Shri Vithal Gadgil.
12. Shri N. M. Kamble.
13. Shri A. K. Refaye.
14. Shri Venilgalla Satyanarayana.
15. Shri Yogendra Sharma.

For the information of Members, the Standing Committee has reported this and I shall just read out a small paragraph: —

"The Committee feel that the existing scheme of the schedule to the Draft Bill will not meet the requirements of the recommendations referred to in paras 23 and 24 *ante.* In their view, to give proper effect to the recommendations referred to in those paragraphs, there should either be two separate schedules or two distinct parts of one schedule — one enumerating the bodies, the chairmanship and secretaryship of which are sought to be excluded from exemption from disqualification and ilie olha enumerating the bodies the chairmanship, secretaryship as well as directorship /membership of which arc sought to be excluded from exemption from disqualification. The Committee, therefore, recommend that the Schedule to the Dralt Bill be re-arranged on the above lines."

This was the recommendation made by the Committee. This is only for the information of Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRlMATl PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That further consideration of the Parliament (Prevention of Disqualifica tion) Amendment Bill, 1974 be adjourned."

The motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Indian Coinage (Amendment) Bill, 1975

SECRETARY-GENERAL : Madam.) have to report to the House the following message received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :

"'In accordance with the provisions Oi Rule 96 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose herewith the Indian Coinage (Amendment) Bill, 1975, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th August 1975."

Madam, I lay the Bill on (he Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHAPADHYAY) : There is no other business before the House. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at minutes past three of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 6th August, 1975.